

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / / 2018

संख्या-2/कोर्ट-14/2018-

/स्वा०,

सी०डब्लू०जे०सी०

संख्या-8329/2018 प्रदीप कुमार कुण्डू बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-4.5.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा एम०जे०सी०नं०-2327/2018 प्रदीप कुमार कुण्डू बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-18.7.2018 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-746(2) दिनांक-30.06.2018 जिससे डा० प्रदीप कुमार कुण्डू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमस गया का स्थानान्तरण सदर अस्पताल नवादा में किया गया था को रद्द किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 8/8/2018

ज्ञापांक-2/कोर्ट-14/2018- 907 (2)

प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल, गया/जिल पदाधिकारी, गया एवं नवादा/ क्षेत्रीय अपरनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ मगध प्रमंडल, गया/ सिविल सर्जन, गया एवं नवादा/ कोषागार पदाधिकारी, गया एवं नवादा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमस गया/उपाधीक्षक सदर अस्पताल, नवादा/ डा० प्रदीप कुमार कुण्डू, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमस, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4-8-18

सरकार के संयुक्त सचिव